

# पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर छत्तीसगढ़ भारत

# Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur Chhattisgarh, India Estd-1964 – recognized by UGC U/s 2(f) and 12 (B)

NAAC "A" Grade

#### **CRITERION-IV**

EVIDENCE(S), AS PER SOP

METRIC No. 4.3.2	Institution has an IT policy, makes appropriate budgetary provisions and				
	updates its IT facilities including the Wi-Fi facility.				


- Geo-tagged photographs of IT facilities including the Wi-Fi facility
- EC minutes regarding annual maintenance of web server and antivirus server

# 4.3.2 Institution has an IT policy, makes appropriate budgetary provisions and updates its IT facilities including the Wi-Fi facility.

Pt. Ravishankar Shukla University has decided to leverage cloud services for existing website and is sub domain of University in order to improve flexibility, efficiency, secured, improve interaction and collaboration .(This Project is approved by Executive Council of Pt. Ravishankar Shukla University). University has provided Wi-Fi Facility to every School of Studies of University, About 50 access point for Wi-Fi facility has been installed in various departments.

#### **Server Details:**

S. N.	Server Name	Utilities		
1.	IBM Blade CENTER S HS22 (four populated	Website server of PRSU		
	blades)			
2.	LENOVO Server TS 140	Learning Management Server		
3	Comprehensive Maintenance (Hardware) of server	Finance Section for its		
	HP ProLiant DL165 G7 situated at Finance Section	accounting		
4.	HP Blade Server HPC 3000 BL 460 Blade chassis	Integrated Library Management		
	with Blade 06 No. of populated blade Intel power	System (Soul Server)		
	xeon situated at Library			





















# पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाषः 0771—2262802 (अकादमिक), 0771—2262540 (कुलसचिव), फैक्स— 0771—2262818, 2262607

क्रमांक : 🕽 🖒 / अका. / का.प / 2022

रायपुर, दिनांक \2 /01/2022

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बासठवीं बैठक मंगलवार, दिनांक 11.01.2022 को अपराह्न 3:00 बजे कुलपति सचिवालय के सभाकक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुए:—

#### प्रो. केशरी लाल वर्मा, कुलपति – अध्यक्ष

1.	डॉ. (श्रीमती) प्रीति के. सुरेश	_	सदस्य	7.	डॉ. के.एन. शर्मा	 सदस्य
2.	डॉ. सी.डी. अगाशे	_	सदस्य	8.	डॉ. ममता शर्मा	सदस्य
	डॉ. एस.के. प्रसाद	_	सदस्य		डॉ. समीर ठाकुर	सदस्य
4.	डॉ. शैलेन्द्र सराफ	_	सदस्य	10.	श्रीमती राजलक्ष्मी सेलट	सदस्य
5.	डॉ. (श्रीमती) आभा रूपेन्द्र पाल		सदस्य	11.	श्रीमती प्रेमा गुलाब एक्का	सदस्य
6.	डॉ. भजन सिंह छाबड़ा	_	सदस्य	12	डॉ. एम.एल. नायक	 सदस्य

### डॉ. गिरीशकांत पाण्डेय, कुलसचिव - सचिव

1. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 03.12.2021 के कार्यवृत्त को संपुष्टि प्रदान करना।

निर्णय: संपुष्टि की गई।

2. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 03.12.2021 के कार्यवाही विवरण के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय: सूचना ग्रहण की गई।

#### वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

3. वित्तीय सत्र 2021—22 के लिए चिकित्सा प्रतिपूर्ति मद में रुपए 25.00 लाख (रुपए पच्चीस लाख मात्र) राशि स्थानांतरण के कार्योत्तर स्वीकृति हेतु विचार करना।

निर्णयः सत्र 2021–22 के बजट में A General Administration के सरल क्रमांक 20 में Additional Provision For Land Acquisition में प्रावधानित राशि रुपए 200.00 लाख (दो सौ लाख मात्र) से चिकित्सा प्रतिपूर्ति मद में राशि रुपए 25.00 लाख (रुपए पच्चीस लाख मात्र) राशि स्थानांतरण की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

#### विकास विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :--

 विश्वविद्यालय पिरसर व भवनों के सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में अनुबंध की शर्तों के अधीन कार्याविध में वृद्धि किए जाने पर विचार करना।

निर्णयः विश्वविद्यालय आदेश क्र. 416/विकास/सु.व्यव./2020 रायपुर, दिनांक 31.12.2020 के तहत सुरक्षा व्यवस्था संबंधी कार्य कर रहे फर्म New Bharat Security & Detective Services, Shop-140, Wing-3, "RAJAT SANKUL" Opp.Main Bus Stand, Ganeshpeth, Nagpur का कार्यकाल दिनांक 31/12/2021 को समाप्त होने एवं फर्म का कार्य संतोषजनक पाए जाने के फलस्वरूप विश्वविद्यालय परिसर व भवनों के सुरक्षा व्यवस्था संबंधी कार्य हेतु अनुबंध की शर्तों के अधीन दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक 01 वर्ष के लिए कार्यकाल में वृद्धि किए जाने का अनुमोदन किया गया।

#### 5. वेबसर्वर एवं एंटीवायरस सर्वर के वार्षिक रख-रखाव के संबंध में विचार करना।

निर्णयः विश्वविद्यालय वेबसर्वर एवं एंटीवायरस सर्वर के वार्षिक रख—रखाव हेतु फर्म का कार्यकाल दिनांक 12/09/2021 को समाप्त होने के कारण दिनांक 13.09.2021 से 06 माह के लिए पूर्व स्वीकृत दर के साथ M/s Key Computer, 420A, Khare Town, Dharampeth, Nagpur-10 के नाम से जारी कार्य आदेश क्र. 615/विकास/2021 रायपुर, दिनांक 24.12.2021 का अनुमोदन किया गया।

6. विश्वविद्यालय परिसर व भवनों के साफ—सफाई व्यवस्था के संबंध में अनुबंध की शर्तों के अधीन कार्याविध में वृद्धि किए जाने पर विचार करना।

निर्णयः विश्वविद्यालय आदेश क्र. 418/विकास/सफाई कार्य/2020 रायपुर, दिनांक 31.12.2020 के तहत परिसर व भवनों के साफ—सफाई व्यवस्था संबंधी कार्य कर रहे फर्म New Bharat Security & Detective Services, Shop-140, Wing-3, "RAJAT SANKUL" Opp.Main Bus Stand, Ganeshpeth, Nagpur का कार्यकाल दिनांक 31/12/2021 को समाप्त होने एवं कार्य संतोषजनक पाए जाने के फलस्वरूप विश्वविद्यालय परिसर व भवनों के साफ—सफाई व्यवस्था संबंधी कार्य हेतु अनुबंध की शर्तों के अधीन दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक 01 वर्ष के लिए कार्यकाल में वृद्धि किए जाने का अनुमोदन किया गया।

#### अकादिमक विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

7. शासकीय जे.योगानंदम छत्तीसगढ़ स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर को भूगोल विषय में शोध—केंद्र की मान्यता प्रदान करने के संबंध में शोध उपाधि समिति की बैठक दिनांक 24.12.2021 की अनुशंसानुसार अस्थाई मान्यता प्रदान करने (संशोधित विनियम 107 की कंडिका 08 के प्रावधान) के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णयः अनुमोदन किया गया।

#### गोपनीय विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :--

8. वर्ष 2022 की परीक्षाओं के लिए गोपनीय मुद्रण के लिए मुद्रक के अनुमोदन के संबंध में विचार करना।

निर्णयः गोपनीय मुद्रण वर्ष 2022 की परीक्षाओं हेतु न्यूनतम दर वाली संस्थान B को प्रश्नपत्र मुद्रण कार्य के लिए अनुबंध किए जाने का अनुमोदन किया गया।

## सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :--

9. विश्वविद्यालय के वर्ष 2015 में विज्ञापित शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक पदों, जिस पर चयन की प्रक्रिया नहीं हो सकी थी, उन पदों के लिए पुनः विज्ञापन जारी किए जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णयः पूर्व में जारी विज्ञापन का लंबा अंतराल हो जाने एवं आरक्षण संबंधी नियमों में शासन से स्पष्टता के अभाव में तथा यू.जी.सी द्वारा चयन के लिए नए मापदंडों को लागू करने, आदि कारणों से विश्वविद्यालय के शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक पदों पर नियुक्ति हेतु वर्ष 2015 में जारी विज्ञापन क्रमांक 1790/स्था./सा.प्रशा./2015, दिनांक 30.05.2015 एवं विज्ञापन क्रमांक 2853/स्था./सा. प्रशा./2015, दिनांक 10.08.2015 को निरस्त करने का निर्णय लिया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि उपरोक्त विज्ञापन के उपरांत विश्वविद्यालय में रिक्त हुए पदों को सम्मिलित कर संपूर्ण पदों पर भर्ती हेतु शासन से अनुमित प्राप्त कर विज्ञापन जारी किया जाए।

#### पूरक विषयसूची

1. विश्वविद्यालय विद्या—परिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 10.01.2022 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।

निर्णयः अनुमोदन किया गया।

कंप्यूटर सेंटर गोपनीय विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

2. विश्वविद्यालय Website (prsu.ac.in) को क्लाउड बेस्ड सर्वर में स्थापित करने के लिए अनुमानित वार्षिक व्यय रु. 8,00,000=00 (रुपए आठ लाख मात्र) के अनुमोदन के संबंध में विचार करना।

निर्णयः अनुमोदन किया गया।

#### अकादिमक विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :--

3. बीरेंद्र दीपक शिक्षा महाविद्यालय, जामगांव, जिला—गरियाबंद में प्राचार्य की नियुक्ति के संबंध में बंद लिफाफा खोलना।

निर्णयः प्राचार्य के पद के लिए चयन समिति द्वारा अनुशंसित डॉ. रचना पाण्डेय के नाम का अनुमोदन किया गया।

#### विकास विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

4. फर्नीचर क्रय हेतु मद परिवर्तन के लिए प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णयः विश्वविद्यालय अध्ययनशालाओं हेतु फर्नीचर क्रय किए जाने पर अनुमानित रु. 54=00 लाख (रुपए चौव्वन लाख मात्र) व्यय का प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार बजट सत्र 2021—22 के B-Engineering Unit 06) Construction Work i. Girls Hostal के लिए प्रावधानित राशि रु. 200=00 लाख से मद परिवर्तन कर A.General Administration 6 (i) Furniture & fixture मद में रु. 54=00 लाख (रुपए चौव्वन लाख मात्र) स्थानांतरित किए जाने हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति दी गई।

5. राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ मर्यादित, कांके रोड, राँची के द्वारा वार्षिक परीक्षा पश्चात् कार्य सत्र 2020—21 का देयक राशि रुपए 2,26,47,805.00 (रुपए दो करोड़ छब्बीस लाख सैंतालीस हजार आठ सौ पाँच मात्र) के भुगतान के संबंध में विचार करना।

निर्णयः राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ मर्यादित, कांके रोड, राँची को कार्य की पूर्णता एवं संतोषजनक पाए जाने पर राशि रुपए 2,26,47,805.00 (रुपए दो करोड़ छब्बीस लाख सैंतालीस हजार आठ सौ पाँच मात्र) के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।

#### वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :--

6. श्री मोहन लाल दुबे, लैब अटेंडेंट, भूगोल अध्ययनशाला, सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप सी.पी.एफ. का अंतिम भुगतान राशि रु. ७,६८,५९५.०० (रुपए सात लाख अड़सठ हजार पाँच सौ पंच्यानबे मात्र) के कार्योत्तर स्वीकृति हेतु विचार करना।

निर्णयः स्वीकृति प्रदान की गई।

7. श्री राजेंद्र प्रसाद औसर, किनष्ठ अधीक्षक, परीक्षा विभाग के भविष्य निधि से आंशिक पूर्ण भुगतान राशि रु. 6,00,000.00 (रुपए छः लाख मात्र) के कार्योत्तर स्वीकृति हेतु विचार करना।

निर्णयः स्वीकृति प्रदान की गई।

#### सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित प्रस्ताव

8. छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के पत्र क्र. 79/एल 2017—04—00364/वित्त/नियम/चार, दिनांक 28.02.2018 के द्वारा छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्र. एफ 12—1/2007/1—3, दिनांक 05.03.2008 के आदेशानुसार आकस्मिकता तथा कार्यभारित स्थापना से 01.11.2004 के पश्चात् कार्यभारित स्थापना में नियमित हुए शासकीय सेवकों को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा पेंशन नियम 1979 अंतर्गत पेंशन की पात्रता के संबंध में विचार करना।

निर्णयः प्रस्तावित प्रकरण को अनुमोदन प्रदान किया गया।

9. श्री सुरेश यादव, फोटोग्राफर, संविदा कर्मचारी (पेंशन माइनस वेतन आधार पर) एक वर्ष (27.02. 2022 से 26.02.2023 तक) के लिए पुनः नियुक्त किए जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णयः अनुमोदन किया गया।

# पं. सुंदरलाल शर्मा ग्रंथागार से प्राप्त प्रस्ताव :--

10. पं. सुंदरलाल शर्मा ग्रंथागार के ग्रंथालय समिति में कार्यपरिषद् से एक सदस्य की नियुक्ति के संबंध में विचार करना।

निर्णयः डॉ. भजन सिंह छाबड़ा, कार्यपरिषद् सदस्य एवं प्राचार्य, शास. काव्योपाध्याय महा. अभनपुर का मनोनयन किया गया।

11. विश्वविद्यालय ग्रंथालय समिति की बैठक दिनांक 28.12.2021 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।

निर्णयः अनुमोदन किया गया।

# विश्वविद्यालय संपदा शाखा से प्राप्त प्रस्ताव :--

12. वर्ष 2006–07 में 29 हेक्टेयर अर्जित भू—अधिग्रहण में भू—स्वामियों के द्वारा अतिरिक्त मुआवजा राशि माँग किए जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णयः माननीय न्यायालय चतुर्थ अतिरिक्त जिला न्यायाधीश रायपुर के द्वारा जारी आदेश दिनांक 27.11.2021, 02.12.2021 एवं 20.12.2021 के परिपालन में वर्ष 2006—07 में विश्वविद्यालय के लिए अधिग्रहित भूमि में से न्यायालयीन आदेश के अंतर्गत 2.275 हेक्टेयर (5.1619 एकड़) भूमि को समर्पित करने हेतु एवं पूर्व में दी गई राशि को छत्तीसगढ़ शासन को जमा करने हेतु मंतव्य से माननीय न्यायालय को अवगत कराए जाने हेतु निर्णय किया। साथ ही यह भी सूचित किया जाना समीचीन होगा कि उपरोक्त प्रकरण को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सम्मुख वाद प्रस्तुत किया गया।

# अध्यक्ष की अनुमति से अन्य निर्णय

#### सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :--

Review Petition No 156 of 2021 के माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा खारिज 01. किए जाने फलस्वरूप डॉ. मनीष कुमार राय, एसोसिएट प्रोफेसर के पदोन्नति मामले में याचिका क्रमांक 4877 / 2021 में हुए आदेश के संबंध में विचार करना।

पदोन्नति समिति के द्वारा अनुशंसित निर्णय का अनुमोदन किया गया, जो उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण निर्णयः छानबीन समिति के अंतिम निर्णय के अध्याधीन होगा।

विश्वविद्यालय के संपूर्ण कार्य को एक व्यवस्थित पद्धति अपनाने के लिए एकीकृत ई-गवर्नेस 02. की स्थापना के संबंध में विचार करना।

अनुमोदन किया गया। निर्णय:

विश्वविद्यालय परिसर के समुचित विकास एवं दीर्घकालीन योजनाओं यथा नए शैक्षणिक विभागों 03. की स्थापना, नई आधारभूत सुविधाओं के विकास हेतु मास्टर प्लान तैयार करने कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 16.03.2021 के निर्णयानुसार प्राप्त दर पर कार्यादेश प्रदान किए जाने के संबंध में विचार करना।

मास्टर प्लान तैयार करने हेतु न्यूनतम दर होने के कारण छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी निर्णयः विश्वविद्यालय, भिलाई, जिला-दुर्ग को कार्यादेश प्रदान करने हेतु अनुमोदन किया गया।

अध्यक्ष एवं सभी उपस्थित सम्माननीय सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ बैठक संपन्न हुई।

रायपुर, दिनांक \्रे /01/2022

प्. क्रमांक : 955 /अका./का.प/2022

प्रतिलिपि :-माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन, रायपुर। 1.

सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, छ.ग. शासन, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर।

2. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक-सी-3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा 3. रायपुर अटल नगर।

कार्यपरिषद के समस्त सदस्यों को। 4.

अध्यक्ष, समस्त अध्ययनशाला/समस्त विभागीय अधिकारी, 5.

संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद्/जनसंपर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, 6.

वित्त नियंत्रक / प्रभारी, अंकेक्षण, 7.

कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ

एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप कुलसचिव (अका.)